2012:सीजीएचसी:9887

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 567 / 1997

गोविंद उर्फ रामदुलारी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

एवं

(संबद्ध दांडिक अपील.क्रमांक 568 व 569 / 1997)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

दिनांक 03.07.2012

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 567 / 1997

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी गोविन्द उर्फ रामदुलारी, पिता वजनराम सूर्यवंशी, उम्र 30 वर्ष

निवासी – ग्राम बेमा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, म.प्र. (वर्तमान – छत्तीसगढ)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ), थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।

दांडिक अपील क्रमांक : 568 / 1997

अपीलार्थी चरण सूर्यवंशी, पिता वजनराम सूर्यवंशी, उम्र 40 वर्ष

निवासी – ग्राम बेमा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, म.प्र. (वर्तमान – छत्तीसगढ)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ), थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।

तथा

दांडिक अपील क्रमांक : 569 / 1997

अपीलार्थी अभिबरान उर्फ बरान, पिता वजनराम सूर्यवंशी, उम्र 35 वर्ष

निवासी – ग्राम बेमा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, म.प्र. (वर्तमान – छत्तीसगढ)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ), थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

उपस्थित-

अपीलार्थीगण के लिए: श्री बसंत कैर्वत्या।

राज्य के लिए: श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 03.07.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया।

(1) ये अपीलें दिनांक 31 दिसंबर, 1996 को सत्र प्रकरण क्रमांक 51/96 में बिलासपुर के षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी अभिबरान उर्फ बरान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषीसिद्ध किया गया है और अन्य दो अपीलार्थीगण को धारा 302/34 के अन्तर्गत दोषीसिद्ध किया गया है तथा सभी को आजीवन कारावास के दंडादेश से दण्डित किया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 8.10.1995 को प्रातः लगभग 8.00 बजे पाँचों आरोपी व्यक्ति (ए-1 से ए-5) ने एक विधि विरूद्ध जमाव बनाया, दंगा करने में भाग लिया तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की अग्रसरण में मृतक मनीराम की हत्या कर दी। इस प्रकार आरोपीगण धारा 147 एवं 302/149 भारतीय दण्ड संहिता, के अंतर्गत अभियोजित किये गए। अभियोजन का प्रकरण चक्षुदर्शी सीताराम (अ.सा.-2) एवं पुनीराम (अ.सा.-6) के कथन पर आधारित था। सीताराम (अ.सा. 2) ने घटना को देखने के उपरांत मृतक के पुत्र सत्रुघन (अ.सा.-8) को सूचित किया, जिसने आगे चलकर मृतक के भाई घनश्याम (अ.सा.-1) को अवगत कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी. 1) घनश्याम (अ.सा. 1) द्वारा दर्ज कराई गई। (अ.सा.-1)। जब सत्रुघन (अ.सा.-8 - मृतक का पुत्र) को सूचना दी गई, तब घनश्याम (अ.सा.-1 - मृतक का भाई), सुखिन (अ.सा.-3 - मृतक की पत्नी), शाहोद्रा (अ.सा.-4 - मृतक की माता) तथा धनीराम (अ.सा.-9 - मृतक का अन्य भाई) तत्काल घटनास्थल पर पहुँच गए और मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया। इस प्रकार अभियोजन दो प्रकार के साक्ष्यों के साथ आया। प्रथम, चक्षुदर्शी सीताराम (अ.सा.-2) एवं पुनीराम (अ.सा.-6) का कथन तथा द्वितीय, उपर्युक्त चार साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा मौखिक मृत्युपूर्व कथन संबंधी साक्ष्य पर अवलंब नहीं लिया गया तथा उसे अस्वीकार कर दिया। दो चक्षुदर्शी साक्षियों में से पुनीराम (अ.सा.-6) पक्षद्रोही हो गया। सत्र न्यायाधीश ने केवल सीताराम (अ.सा.-2) के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकमात्र कथन पर अवलंब लेते हुए अपीलार्थीगण (ए-1 से ए-3) को, जैसा कि पूर्व वर्णित है, दोषसिद्ध कर दण्डित किया, किन्तु शेष दो सहअभियुक्तगण (ए-4 एवं ए-5) को दोषमुक्त कर दिया।

(3) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित श्री बसंत कैर्वत्या, विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर यह तर्क किया है कि सीताराम (अ.सा.-2) अविश्वसनीय है; यद्यपि उसने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में सभी अभियुक्त व्यक्तियों के नाम बताए थे, किन्तु न्यायालय में दिए गए अपने साक्ष्य में उसने दो अभियुक्त व्यक्तियों (ए-4 एवं ए-5) के नामों का उल्लेख नहीं किया; ग्राम में पार्टी-बंदी का साक्ष्य उपलब्ध है तथा शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त भिन्न-भिन्न गुटों से संबंधित हैं। यद्यपि सीताराम (अ.सा.-2) यह कथन करता है कि उसने सभी हमलावरों (ए-1 से ए-5) के नाम सत्रुघन (अ.सा.-8) को बताए थे तथा घनश्याम (अ.सा.-1) को सूचना दी गई थी, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) (प्र.पी.1) में केवल चार व्यक्तियों के नाम ही अंकित हैं। सीताराम (अ.सा.-2) उपर्युक्त महत्वपूर्ण विलोपों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अतः केवल सीताराम (अ.सा.-2) के एकमात्र कथन के आधार पर किया गया दोषसिद्धि का दंडादेश यथावत नहीं रखी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित श्री जे.ए. लोहानी, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) घटना एक होटल के पास स्थित सार्वजनिक सड़क पर घटी। सीताराम (अ.सा.-2) संयोगवश उपस्थित साक्षी है। उसका कथन है कि घटना के समय वह होटल के पास उपस्थित था। उसने देखा कि ए-1 से ए-3 एक ठेला के पास स्थित चौराहे पर खड़े थे।

मृतक मनीराम भी वहाँ उपस्थित था। यह देखकर ए-1 तथा ए-3 ने मृतक के दोनों हाथ पकड़ लिए तथा ए-2 ने मृतक पर लाठी से हमला करना प्रारंभ कर दिया। मृतक के गिर जाने के बाद भी वह उस पर हमला करता रहा। मृतक के गिर जाने के उपरांत भी ए-1 तथा ए-3 उसके हाथ पकड़े रहे। ए-2 भी लाठी से मृतक पर प्रहार करता रहा। तत्पश्चात मृतक को पेट के बल भूमि की ओर झुकाकर लिटा दिया गया और तब ए-2 ने मृतक के वृषणों पर प्रहार किया। इसके बाद ए-2 ने ए-3 से कहा कि अब वह थक गया है, अतः आगे की मारपीट वह जारी रखे। तब ए-2 ने अपनी लाठी ए-3 को दे दी तथा एक टब्बल लाने के लिए कहा यह कहते हुए कि वह मृतक को काट देगा। इसके उपरांत वह (सीताराम) घटनास्थल से भाग गया और उसने जाकर समस्त घटना सत्रुघन (अ.सा.-8) को बताई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) इस प्रकार सीताराम (अ.सा.-2) ने न्यायालय में दिए गए अपने साक्ष्य में ए-4 एवं ए-5 के नामों का उल्लेख नहीं किया। न्यायालय के समक्ष उसके कथन के अनुसार ये व्यक्ति न तो वहाँ उपस्थित थे और न ही उन्होंने किसी भी प्रकार मृतक की हत्या के घटित किए जाने में भाग लिया था। चूँकि यह सीताराम (अ.सा.-2) द्वारा किया गया एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लोप था, इसलिए लोक अभियोजक ने उसे पक्षद्रोही घोषित किए बिना ही, उसके मुख्य परीक्षण के पैरा-3 में, इस साक्षी के केस डायरी कथन (प्र.पी. 2) का उल्लेख करते हुए, ए-4 एवं ए-5 के नामों के लोप के संबंध में स्पष्ट प्रश्न किया। उक्त प्रश्न के उत्तर में सीताराम (अ.सा.-2) ने कहा कि उसने पुलिस को ए-4 एवं ए-5 के नाम लेते हुए इस प्रकार का कथन नहीं दिया था, और यदि धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज उसके कथन (प्र.पी. 2) में उन्हें प्रत्यक्ष कृत्य करने वाले हमलावर के रूप में दर्शाते हुए उनके नाम लिखे गए हैं, तो वह यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने ऐसा क्यों लिखा है। अपने मुख्य परीक्षण की अंतिम पंक्ति में उसने लोक

अभियोजक के इस सुझाव से इंकार किया कि यह कहना गलत है कि वह ए-4 एवं ए-5 को बचाने हेतु झूठा कथन दे रहा है।

(8) बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में, उसके मुख्य परीक्षण में की गई विभिन्न अतिशयोक्तियों को उसके समक्ष रखा गया। उसने पैरा-8 में यह कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष यह कहा था कि मृतक को ए-1 एवं ए-3 ने बाजुओं से पकड़ लिया था; मृतक को पेट के बल लिटा दिया गया था; मृतक के वृषणों पर मारपीट की गई थी; तत्पश्चात उसके शरीर को पलटा गया; फिर ए-2 ने ए-1 एवं ए-3 से एक टब्बल लाने को कहा; तथा ए-2 ने ए-1 एवं ए-3 से यह भी कहा कि वह अब थक गया है, अतः उन्हें मृतक पर हमला करना चाहिए। यदि उपर्युक्त तथ्यों का उसके डायरी कथन में उल्लेख नहीं है, तो वह इसके कारण के बारे में नहीं बता सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अभियोजन का प्रकरण यह है कि सीताराम (अ.सा.-2) ने घटना को सत्रुघन (अ.सा.-8 – मृतक का पुत्र) को बताया, जिसने आगे चलकर उसे घनश्याम (अ.सा.-1) को बताया और घनश्याम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./1) दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि हरप्रसाद (ए-4 – दोषमुक्त किया गया अभियुक्त) का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है। यदि वस्तुतः सीताराम (अ.सा.-2) ने घटना देखी थी तथा उसने उपर्युक्त साक्षियों को वही घटना सुनाई थी, जिन्होंने तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, तो कथित हमलावरों में से एक अर्थात् हरप्रसाद (ए-4) का नाम छोड़ देने का कोई कारण नहीं था।

(10) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सत्रुघन (अ.सा.-8) के साक्ष्य से यह भी परिलक्षित होता है कि ग्राम में पार्टी - बंदी थी तथा अपने साक्ष्य के पैरा-7 में उसने यह कथन किया कि सीताराम (अ.सा.-2) भी इस घटना में सहभागी था, क्योंकि वह भी मारपीट में लिप्त था।

(11) सीताराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य के सम्यक विवेचन पर हम पाते हैं कि उसने विचारण में "पिक ऐंड चूज़" की पद्धति अपनाई। अपने डायरी कथन (प्र.पी./2) में उसने सभी पाँचों अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-5) के नाम लिए, किन्तु न्यायालय में दिए गए अपने साक्ष्य में उसने ए-4 एवं ए-5 के नाम छोड़ दिए। मुख्य परीक्षण में लोक अभियोजक द्वारा स्पष्टीकरण माँगे जाने पर भी उसने इस बात से सहमति व्यक्त नहीं की कि उपर्युक्त दोनों अभियुक्त व्यक्ति (ए-4 एवं ए-5) भी घटना-स्थल पर उपस्थित थे तथा उन्होंने भी मारपीट में भाग लिया था। यह उसके न्यायालयीन साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण लोप था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उसके न्यायालयीन साक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अतिशयोक्तियाँ हैं, जिनका उसके डायरी कथन में उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो पूर्णतः सीताराम (अ.सा.-2) की सूचना पर आधारित थी, में भी कथित हमलावर (ए-4) का नाम नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) उपर्युक्त आचरण के कारण सीताराम (अ.सा.-2) का साक्ष्य डगमगाता एवं अविश्वसनीय हो जाता है। हमारा मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल सीताराम (अ.सा.-2) के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित करके भूल की है।

(13) उपर्युक्त कारणों से अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। अपीलार्थीगण को धारा 302 एवं 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण को उन पर विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को दिनांक 10-10-1995 को गिरफ़्तार किया गया था तथा दिनांक 3-2-2003 के आदेश द्वारा उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया था। यह व्यक्त किया गया है कि वे ज़मानत पर हैं। उनके ज़मानत बंध पत्र भारमुक्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियाँ उन्मोचित की जाती हैं।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक